भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *268

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है।

.....

वर्षा जल संरक्षण कार्यक्रम

***268. श्री मनोज तिवारी:**

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्षा जल संरक्षण कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त उपाए किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का वर्षा जल संचयन के लिए कोई नई तकनीक विकसित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने वर्षा जल के संरक्षण के लिए चैक डैम की क्षमता को फिर से जीवंत करने के लिए उनमें से गाद निकालने संबंधी कोई कार्य/परियोजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने देश में जल भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए कोई सक्ष्म निर्धारित किया है और यदि हां, तो उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टूडू)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"वर्षा जल संरक्षण कार्यक्रम" के संबंध में दिनांक 04.08.2022 को लोक सभा में उत्तर दिये जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 268 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): जल एक राज्य का विषय है और केन्द्र सरकार वर्षा संरक्षण और इसके संचयन सहित जल संरक्षण तथा पुनर्भरण के संबंध में तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों के प्रयासों की सहायता करती है।

भारत सरकार वर्षा जल संरक्षण तथा इसके संचयन के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख स्कीमों/कार्यक्रमों में वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ-साथ महात्वा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन, पारंपरिक तथा अन्य जल निकायों/तालाबों का नवीकरण, बोरवेल का पुन: प्रयोग और पुनर्भरण, वॉटर शेड विकास और सघन वृक्षारोपण पर ध्यान देते हुए जल संरक्षण और जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए जुलाई से नवंबर,2019 के दौरान देश के जल की कमी वाले 256 जिलों के 1,592 ब्लॉकों में 'जल शक्ति अभियान' (जेएसए) आरंभ किया। जेएसए श्रृंखला में तीसरा 'जल शक्ति अभियान: कैच द रेन' चालू वर्ष में देश के सभी जिलों (ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र) में 29 मार्च, 2022 को आरंभ किया गया। जिसका मुख्य थीम ''कैच द रेन- व्येर इट फाल्स, व्हेन इट फाल्स''। जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन इस अभियान का एक मुख्य कार्य है। राज्य जल शक्ति अभियान को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सहायता से उपलब्ध संसाधनों, राज्य निधियों, 15वें वित्त आयोग के अनुदानों आदि का अभिसरण कर रहे हैं।

वर्षा जल संरक्षण और इसके संचयन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): पिछले तीन वर्षों के लिए और चालू वर्ष में जल संरक्षण और जल संचयन के संबंध में मनरेगा के अंतर्गत किए गए व्यय का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-II** पर दिया गया है। सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) और पीएमकेएसवाई को जल निकायों की मरम्मत और नवीकरण एवं बहाली (डब्ल्यूबी आरआरआर) के तहत 2018-19 से 2022-23 के दौरान विभिन्न राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-III** पर दिया गया है और पीएमकेएसवाई के वॉटर शेड विकास घटक के अंतर्गत 2018-19 2021-22 के दौरान जारी की गई केन्द्रीय सहायता का विवरण **अनुलग्नक-IV** पर दिया गया है। जल निकायों के जीआईएस मानचित्रण और जेएसए:सीटीआर के अंतर्गत वैज्ञानिक योजनाएं तैयार करने के लिए प्रत्येक जिले को एक एक लाख रूपए की दो किश्तों में 2 लाख रूपए की वित्तीय सहायता जारी की गई है। वर्ष 2020-21 के दौरान तथा चालू वर्ष में जेएसए:सीटीआर के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित जारी की गई निधियों का विवरण **अनुलग्नक-V** पर दिया गया है। जेएसए:सीटीआर के अंतर्गत वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान कोई निधि जारी नहीं की गई थी। वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान 15वें वित्त आयोग से सहबद्ध अनुदान के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा विभिन्न राज्यों

को दी गई वित्तीय सहायता जिसका अन्य के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्र के लिए उपयोग किया जा सकता है, **अनुलग्नक-VI** पर दी गई है। वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान अमृत के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वयन के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई केन्द्रीय सहायता **अनुलग्नक-VII** पर दिया गया है और अनुमोदित राज्य जल कार्य योजना (स्वाप) और अमृत 2.0 के अंतर्गत विशेष राज्य जल कार्य योजना (एसएसडब्ल्यूएपी) के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई केन्द्रीय सहायता का विवरण **अनुलग्नक-VIII** पर दिया गया है।

(ग): वर्षा जल संचयन के लिए नई तथा उन्नत प्रोद्योगिकी का प्रयोग एक सतत प्रक्रिया है और जलवायु मृदा संस्तर और अन्य संबंधित कारकों पर निर्भर करते हुए भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अलग है। जल शक्ति मंत्रालय, राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के माध्यम से जल संरक्षण में नई और नवीन प्रोद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। अमृत में प्रोद्योगिकी उप-मिशन का एक घटक है जो जल क्षेत्र में प्रमाणित तथा संभावित वैश्विक प्रोद्योगिकियों की पहचान करने में मदद करता है जिसमें वर्षा जल संचयन के लिए प्रोद्योगिकी शामिल है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने सुधरी हुई जल संचयन प्रोद्यगिकियां विकसित की हैं। आईसीएआर सरकार की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों को तकनीकी बैकस्टोपिंग भी उपलब्ध कराता है और आवश्यक होने पर वर्षा जल संरक्षण के संबंध में किसानों/पणधारियों को प्रशिक्षण देता है। वर्षा जल संचयन के लिए आमतौर पर प्रयोग में लाई जा रही विभिन्न प्रोद्योगिकियों का ''भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंध मैन्युअल'' में उल्लेख किया गया है जो http://cgwb.gov.in/documents/Mannual-Artificial-Recharge.pdf पर उपलब्ध है।

(घ) और (ड.): मौजूदा वर्षा जल संचयन अवसंरचनाओं का रखरखाव तथा नए चैकबांधों / तालाबों का सृजन, पारंपरिक जल संचयन अवसंरचनाओं का नवीकरण, टैंकों / झीलों और उनके कैचमेंट चैनलों के अतिक्रमणों को हटाना और टैंकों की गाद निकालने का कार्य 'जल शक्ति अभियान: कैच द रेन' अभियान में शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त, जल शक्ति मंत्रालय सतही लघु सिंचाई एसएमआई और जल निकायों की मरम्मत और नवीकरण तथा बहाली (आरआरआर) का कार्यान्वयन भी कर रहा है। अन्य बातों में एसएमआई तथा आरआरआर स्कीमों का एक प्रमुख उद्देश्य टैंक भंडारण क्षमता को बढ़ाने से संबंधित है। जल शक्ति मंत्रालय एसएमआई और जल निकायों की आरआरआर स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराता है। सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत कार्यों से देश में जल भंडारण क्षमता में वृद्धि भी होती है।

*****

अनुलग्नक-I

"वर्षा जल संरक्षण कार्यक्रम" के संबंध में लोक सभा में श्री मनोज तिवारी और श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक द्वारा पूछे गए और दिनांक 04.08.2022 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *268 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

<u>वर्षा जल संरक्षण और इसके संचयन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा</u>

I. आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ये दिशानिर्देश में वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण उपायों की आवश्यकता पर पर्याप्त ध्यान देते हुए स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त उपायों को अपनाने के लिए राज्यों के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं, अर्थात् दिल्ली के एकीकृत भवन उप-कानून (यूबीबीएल), 2016, मॉडल बिल्डिंग उप-कानून (एमबीबीएल), 2016 और शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014।

II. ग्रामीण स्थानीय निकायों के माध्यम से उपयोग हेतु राज्यों को 15वें वित्त आयोग के अनुदान जारी किए गए हैं। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता का उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए किया जा सकता है। 15वें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को जल और स्वच्छता से जुड़े अनुदानों के लिए एक मैनुअल पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है जो सार्वजनिक डोमेन में निम्नलिखित पर उपलब्ध है: https://jalshakti-ddws.gov.in/sites/default/files/FFC 22-10-21 English.pdf

III. केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) कतिपय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जहां संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विनियमन नहीं किया जा रहा है, में व्यवहार्य क्षेत्रों में उद्योगों, अवसंरचना इकाइयों और खनन परियोजनाओं को भूजल अमूर्तता के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रदान करता है। अखिल भारतीय प्रयोज्यता के साथ भूजल निष्कर्षण के नियंत्रण और विनियमन के लिए नवीनतम दिशानिर्देशों को मंत्रालय द्वारा 24 सितंबर 2020 को अधिसूचित किया गया था, जिनमें परिकल्पना की गई थी कि प्रस्तावक एनओसी प्राप्त करने के लिए परियोजना क्षेत्र में छत पर वर्षा जल संचयन और पुनर्भरण प्रणाली स्थापित करेंगे।

IV. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 तैयार किया गया है जो अनुमानित लागत सहित देश की विभिन्न भू-भाग स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को दर्शाते हुए एक वृहत् स्तर की योजना है।

V. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक मॉडल विधेयक परिचालित किया गया है ताकि वे इसके विकास के विनियमन के लिए उपयुक्त भूजल विधान अधिनियमित कर सकें, जिसमें वर्षा जल संचयन का प्रावधान शामिल हो, अब तक, 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भूजल कानून को अपनाया और कार्यान्वित किया है।

VI. जलभृतों के मानचित्रण, उनके लक्षण वर्णन और जलभृत प्रबंधन के विकास के लिए "राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन (एनएक्यूयूआईएम)" संबंधी एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम भूजल संसाधनों के सतत विकास को सुलभ बनाता है।

VII. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय जल नीति (2012) तैयार की गई है जो अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण का समर्थन करता है और वर्षा के प्रत्यक्ष उपयोग के माध्यम से जल की उपलब्धता को बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं।

VIII. उपर्युक्त के अलावा, वर्षा जल संरक्षण और इसके संचयन को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न भागों में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) योजना के तहत प्रत्येक वर्ष समय-समय पर प्रशिक्षण, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों आदि जैसे जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

*****

"वर्षा जल संरक्षण कार्यक्रम" के संबंध में लोक सभा में श्री मनोज तिवारी और श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक द्वारा पूछे गए और दिनांक 04.08.2022 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *268 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक -II

पिछले तीन वर्षों के दौरान और मौजूदा वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जल संरक्षण और जल संचयन संबंधी व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
		पूरा किया	चल रहे	पूरा किया	चल रहे	पूरा किया	चल रहे	पूरा किया	चल रहे
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	व्यय (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)
1	अंडमान और निकोबार	11.84	20.71	29.66	16.02	6.31	17.03	0.41	9.18
2	आंध्र प्रदेश	63496.09	3729.52	93256.11	22778.63	44858.65	55616.46	205.02	30805
3	अरुणाचल प्रदेश	519.83	61.37	1695.36	163.05	793.91	1130.06	13.27	332.69
4	असम	5808.42	4616.77	19047.36	17308	14901.16	28431.94	664.92	9176.3
5	बिहार	17643.46	4228.58	34506.29	14297.27	22742.07	23685.58	4076.89	33684
6	छत्तीसगढ़	58756.27	10713.23	69228.66	32082.81	26708.26	67340.68	854.33	22227
7	डीएन हवेली और डीडी	0	0	0	0	0	0	0	0
8	गोवा	14.05	2.3	36.96	12.72	27.5	33	0.07	16.02
9	गुजरात	19289.22	3262.65	24335.78	7131.93	20813.77	20900.94	2571.61	23729
10	हरियाणा	4267.65	457.07	5450.92	1264.49	2598.38	2758.98	52.21	913.41
11	हिमाचल प्रदेश	5340.75	557.58	5125.24	1017.24	3213.78	3024.48	602.43	3533.3
12	जम्मू-कश्मीर	2064.16	2038.32	4155.21	4429.88	1253.36	6916.35	61.83	583.2
13	झारखंड़	7842.19	1132.88	13976.9	4516.02	6240.69	8060.37	167.48	1304.7
14	कर्नाटक	72186.11	39857.53	77183.3	59737.29	55758.09	95347.54	7224.65	84048
15	केरल	63135.53	21528.52	85779.66	39387.99	24483.84	122369.39	564.06	33086
16	लद्दाख	74.5	101.49	6.17	78.65	4.43	129	0	22.11
17	लक्षद्वीप	0	1.84	0	0.11	0	0	0	0
18	मध्य प्रदेश	135632.13	17229.75	280216.97	68604.21	171941.04	154774.12	19445.09	112634
19	महाराष्ट्र	15190.56	3917.33	18886.76	4051.78	13347.45	11755.51	2497.34	11385
20	मणिपुर	5157.63	476.09	15815.43	691.93	10877.51	3226.89	340.29	2899.1
21	मेघालय	14381.08	4465.02	12732.47	8967.33	2217.39	11112.5	351.73	4438.7

22	मिजोरम	3346.04	37.11	2221.36	6.07	3287.46	157.34	813.01	1404.9
23	नागालैंड	3123.92	378.71	2850.35	1010.33	1536.35	1732.35	503.36	2266.1
24	ओडिशा	14772.42	4852.43	48726.1	29291.83	26821.21	63936.48	856.66	31190
25	पुदुचेरी	494.15	2.23	759.4	9.17	170.09	42.17	0.81	107.65
26	पंजाब	817.71	262.02	1160.89	456.98	778.34	1005.16	29.3	481.17
27	राजस्थान	88408.21	77442.31	145506.29	184453.49	33523.17	305343.65	606.92	108673
28	सिक्किम	706.26	94.72	704.51	148.76	388.22	480.86	30.78	274.3
29	तमिलनाडु	287351.4	10459.39	433774.68	25275.58	492452.91	110545.38	78638.41	140641
30	तेलंगाना	20740.48	24098.37	41595.02	13020.43	30254.76	27814.18	781.97	38235
31	त्रिपुरा	13104.8	59.55	14715.08	152.5	8089.93	4740.35	131.33	1586.7
32	उत्तर प्रदेश	50836.08	23384.98	75141.67	67180.12	11657.9	49792.75	432.06	80753
33	उत्तराखंड	6308.91	838.87	6942.26	4345.8	1860.42	6146.76	579.03	4130
34	पश्चिम बंगाल	36444.96	11961.25	43621.71	31618.18	7613.71	61464.33	29.45	8239.1
	कुल	1017266.8	272270.49	1579184.53	643506.59	1041222.06	1249832.58	1,23,126.7	7,92,810

*****

अनुलग्नक-III

"वर्षा जल संरक्षण कार्यक्रम" के संबंध में लोक सभा में श्री मनोज तिवारी और श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक द्वारा पूछे गए और दिनांक 04.08.2022 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *268 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान जल निकायों और सतही लघु सिंचाई योजना (एसएमआई) और मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) के लिए जारी की गई केंद्रीय सहायता (सीए) का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

एसएमआई योजनाएं						
क्र.सं.	**राज्य**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
1	अरुणाचल प्रदेश	22.25	17.49	104.69	142.73	0
2	असम	428.34	414.06	205.62	275.1997	0
3	बिहार	32.28	16.14	10.65	0	0
4	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0
5	हिमाचल प्रदेश	66.2	147.91	59.8	60.30795	0
6	झारखंड	0	0	0	0	0
7	कर्नाटक	0	0	0	0	0
8	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0
9	मणिपुर	0	0	69.26	75.98	0
10	मेघालय	31.5	22.22	57.07	100.4676	0
11	मिजोरम	0	11.34	7.65	4.6615	0
12	नागालैंड	35.33	20.46	35.99	40.894	0
13	सिक्किम	16.61	9.13	9.33	9.705	0
14	त्रिपुरा	0	9	0	0	0
15	उत्तराखंड	61	31.78	0	29.63	0
16	जम्मू और कश्मिर संघ राज्य क्षेत्र	31.7	62.176	96.68	0	0
17	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	0	6.4	0.9	0	0
	कुल	**725.21**	**768.106**	**657.64**	**739.576**	**0**
जल निकाय योजनाओं का मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर)						
क्र.सं.	**राज्य**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
1	आंध्र प्रदेश	2.7	0	0	0	0
2	बिहार	6.26	11.82	0	8.6225	0
3	गुजरात	8.81	0	0	0	0
4	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0
5	मणिपुर	0	24.26	0	0	0
6	मेघालय	0	0	0	0	0
7	ओडिशा	0	0	34.54	0	0
8	राजस्थान	0	11.96	0	0	0
9	तमिलनाडु	7.03	16.75	1.25	17.42875	0
10	तेलंगाना	0	0	0	0	0
11	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0
	कुल	**24.8**	**64.79**	**35.79**	**26.0513**	**0**

*****

अनुलग्नक-IV

"वर्षा जल संरक्षण कार्यक्रम" के संबंध में लोक सभा में श्री मनोज तिवारी और श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक द्वारा पूछे गए और दिनांक 04.08.2022 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *268 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा

(डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई)*

क्र.सं.	राज्य	जारी केन्द्रीय सहायता (करोड़ रूपये में)			
		डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई			डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	आंध्र प्रदेश	139.15	144.39	43.89	45.7365
2	अरुणाचल प्रदेश	19.17	55.71	5.80	22.9816
3	असम	66.55	49.03	169.26	16.4814
4	बिहार	46.77	88.37	0.00	112.9426
5	छत्तीसगढ़	57.03	47.07	0.00	23.0123
6	गुजरात	151.84	77.93	0.00	25.7927
7	गोवा	-	-	-	2.0984
8	हरियाणा	10.00	7.13	13.68	3.0222
9	हिमाचल प्रदेश	24.04	66.87	0.00	8.505
10	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र **	71.87	0.00	91.21	11.8699
11	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	-	-	6.147	0
12	झारखंड	28.83	36.77	41.915	27.2774
13	कर्नाटक	101.07	21.76	6.162	119.8348
14	केरल	13.06	48.77	0.00	13.2471
15	मध्य प्रदेश	162.41	221.28	84.90	75.0302
16	महाराष्ट्र	163.33	103.00	0.00	50.0836
17	मणिपुर	14.14	1.46	0.00	9.2436
18	मेघालय	6.69	1.19	0.00	60.7999
19	मिजोरम	23.14	22.27	0.00	7.0245
20	नागालैंड	38.51	137.55	3.531	13.625
21	ओडिशा	102.17	83.11	1.75	123.1806
22	पंजाब	0.00	0.00	0.00	3.031
23	राजस्थान	299.00	119.43	449.896	282.5638
24	सिक्किम	0.00	2.13	0.00	3.15
25	तमिलनाडु	90.59	0.00	0.00	10.7523
26	तेलंगाना	81.93	33.50	60.34	27.6021
27	त्रिपुरा	15.89	10.75	11.74	20.30
28	उत्तराखंड	6.98	0.00	0.00	11.0614
29	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	21.7767
30	पश्चिम बंगाल	46.39	92.87	0.00	13.1475
	कुल	**1780.55**	**1472.33**	**990.2209**	**1165.1741**

* मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान कोई धन जारी नहीं किया गया

**जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को वर्ष 2020-21 के दौरान संघ राज्य क्षेत्रों के रूप में बनाया गया है।

*****

अनुलग्नक-V

"वर्षा जल संरक्षण कार्यक्रम" के संबंध में लोक सभा में श्री मनोज तिवारी और श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक द्वारा पूछे गए और दिनांक 04.08.2022 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *268 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के दौरान जेएसए: सीटीआर अभियान के तहत जारी वित्तीय सहायता का राज्य-वार विवरण

(लाख में रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी)	2	0
2	आंध्र प्रदेश	13	0
3	अरूणाचल प्रदेश	11	0
4	असम	19	0
5	बिहार	26	2
6	चंडीगढ़	1	0
7	छतीसगढ़	8	8
8	दादर एवं नगर हवेली	2	0
9	दिल्ली	7	1
10	गोवा	1	0
11	गुजरात	15	5
12	हरियाणा	22	0
13	हिमाचल प्रदेश	6	1
14	जम्मू एवं कश्मिर	18	0
15	झारखंड	10	3
16	कर्नाटक	2	0
17	केरल	10	1
18	लेह एवं लद्दाख	2	0
19	लक्ष्यद्वीप	0	1
20	मध्य प्रदेश	44	1
21	महाराष्ट्र	2	15
22	मणिपुर	12	0
23	मेघालय	8	0
24	मिजोरम	8	0
25	नागालैंड	5	0
26	ओड़िशा	10	2
27	पुदुच्चेरी(संघ राज्य क्षेत्र)	0	2
28	पंजाब	6	1
29	राजस्थान	24	7
30	सिक्किम	4	0
31	तामिलनाडु	34	0
32	तेलंगाना	32	0
33	त्रिपुरा	8	0
34	उत्तर प्रदेश	44	13
35	उत्तराखंड	13	0
36	पश्चिम बंगाल	2	0
कुल		**431**	**63**

****

अनुलग्नक-VI

"वर्षा जल संरक्षण कार्यक्रम" के संबंध में लोक सभा में श्री मनोज तिवारी और श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक द्वारा पूछे गए और दिनांक 04.08.2022 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *268 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

15वें वित्त आयोग के तहत वित्तीय सहायता, से जुड़े अनुदान, जिनका उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए किया जा सकता है

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2020-21				वर्ष 2021-22				वर्ष 2022-23			
		आबंटन	जारी			आबंटन	जारी			आबंटन	जारी		
			पहली किस्त	दूसरी किस्त	कुल		पहली किस्त	दूसरी किस्त	कुल		पहली किस्त	दूसरी किस्त	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	1,312.50	656.25	656.25	1,312.50	1,163.40	581.70	--	581.70	1,206.00	--	--	--
2.	अरुणाचल प्रदेश	115.50	57.75	57.75	115.50	102.00	51.00	--	51.00	106.20	--	--	--
3.	असम	802.00	401.00	401.00	802.00	711.60	355.80	355.80	711.60	736.80	--	--	--
4.	बिहार	2,509.00	1,254.50	1,254.50	2,509.00	2,225.40	1,112.70	1,112.70	2,225.40	2,305.20	1,152.60	--	1,152.60
5.	छत्तीसगढ़	727.00	363.50	363.50	727.00	645.00	322.50	322.50	645.00	668.40	--	--	--
6.	गोवा	37.50	18.75	18.75	37.50	33.00	16.50	--	16.50	34.20	--	--	--
7.	गुजरात	1,597.50	798.75	798.75	1,597.50	1,417.20	708.60	--	708.60	1,467.60	--	--	--
8.	हरियाणा	632.00	316.00	316.00	632.00	561.00	280.50	--	280.50	580.80	--	--	--
9.	हिमाचल प्रदेश	214.50	107.25	107.25	214.50	190.20	95.10	95.10	190.20	197.40	--	--	--
10.	झारखंड	844.50	422.25	422.25	844.50	749.40	374.70	--	374.70	775.80	--	--	--
11.	कर्नाटक	1,608.50	804.25	804.25	1,608.50	1,426.20	713.10	713.10	1,426.20	1,477.80	--	--	--
12.	केरल	814.00	407.00	407.00	814.00	721.80	360.90	360.90	721.80	747.60	--	--	--
13.	मध्य प्रदेश	1,992.00	996.00	996.00	1,992.00	1,766.40	883.20	--	883.20	1,830.00	--	--	--
14.	महाराष्ट्र	2,913.50	1,456.75	1,456.75	2,913.50	2,584.20	1,292.10	1,092.92	2,385.02	2,676.60	--	--	--
15.	मणिपुर	88.50	44.25	44.25	88.50	78.60	39.30	--	39.30	81.00	--	--	--
16.	मेघालय	91.00	45.50	45.50	91.00	81.00	40.50	--	40.50	84.00	--	--	--
17.	मिजोरम	46.50	23.25	23.25	46.50	41.40	20.70	--	20.70	42.60	--	--	--
18.	नागालैंड	62.50	31.25	31.25	62.50	55.20	27.60	--	27.60	57.60	--	--	--
19.	ओडिशा	1,129.00	564.50	564.50	1,129.00	1,001.40	500.70	500.70	1,001.40	1,036.80	518.40	--	518.40
20.	पंजाब	694.00	347.00	347.00	694.00	615.60	307.80	--	307.80	637.20	--	--	--
21.	राजस्थान	1,931.00	965.50	965.50	1,931.00	1,712.40	856.20	856.20	1,712.40	1,774.20	--	--	--
22.	सिक्किम	21.00	10.50	10.50	21.00	18.60	9.30	9.30	18.60	19.80	--	--	--
23.	तमिलनाडु	1,803.50	901.75	901.75	1,803.50	1,599.60	799.80	799.80	1,599.60	1,656.60	828.30	--	828.30
24.	तेलंगाना	923.50	461.75	461.75	923.50	819.00	409.50	--	409.50	849.00	--	--	--
25.	त्रिपुरा	95.50	47.75	47.75	95.50	84.60	42.30	42.30	84.60	88.20	--	--	--
26.	उत्तर प्रदेश	4,876.00	2,438.00	2,438.00	4,876.00	4,324.80	2,162.40	2,162.40	4,324.80	4,479.60	--	--	--
27.	उत्तराखंड	287.00	143.50	143.50	287.00	255.00	127.50	123.72	251.22	264.00	--	--	--
28.	पश्चिम बंगाल	2,206.00	1,103.00	1,103.00	2,206.00	1,956.60	978.30	951.91	1,930.21	2,026.80	--	--	--
कुल		**30,375.00**	**15,187.50**	**15,187.50**	**30,375.00**	**26,940.60**	**13,470.30**	**9,499.35**	**22,969.65**	**27,907.80**	**2,499.30**	**--**	**2,499.30**

*****

अनुलग्नक-VII

"वर्षा जल संरक्षण कार्यक्रम" के संबंध में लोक सभा में श्री मनोज तिवारी और श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक द्वारा पूछे गए और दिनांक 04.08.2022 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *268 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्षों और मौजूदा वित्तीय वर्ष में परियोजना कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई केंद्रीय सहायता

(आंकड़े करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	वित्तीय वर्ष: 2019-20	वित्तीय वर्ष: 2020-21	वित्तीय वर्ष: 2021-22	मौजूदा वर्ष: 2022-23	कुल
1	अंडमान और निकोबार	4.32	0.00	4.32	0.00	**8.64**
2	आंध्र प्रदेश	246.69	0.00	0.00	0.00	**246.69**
3	अरूणाचल प्रदेश	17.63	0.00	56.44	0.00	**74.07**
4	असम	0.00	0.00	179.64	0.00	**179.64**
5	बिहार	0.00	685.93	0.00	0.00	**685.93**
6	चंडीगढ़	26.31	0.00	0.00	0.00	**26.31**
7	छत्तीसगढ़	145.67	415.55	0.00	0.00	**561.22**
8	दादर एवं नगर हवेली	4.27	0.00	4.16	0.00	**8.43**
9	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
10	दिल्ली	151.54	0.00	206.20	0.00	**357.74**
11	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
12	गुजरात	1,074.58	0.00	73.61	0.00	**1,148.19**
13	हरियाणा	289.71	147.18	147.18	0.00	**584.06**
14	हिमाचल प्रदेश	60.22	56.73	66.71	0.00	**183.66**
15	जम्मू और कश्मीर	116.95	0.00	95.64	0.00	**212.59**
16	लद्दाख	37.40	0.00	0.00	0.00	**37.40**
17	झारखंड	135.22	109.62	109.62	0.00	**354.46**
18	कर्नाटक	710.54	280.50	125.93	0.00	**1,116.97**
19	केरल	194.74	399.25	119.62	0.00	**713.61**
20	लक्ष्यद्वीप	1.10	0.00	0.41	0.00	**1.51**
21	मध्य प्रदेश	925.00	0.00	100.76	0.00	**1,025.76**
22	महाराष्ट्र	0.00	1,243.71	330.00	0.00	**1,573.71**
23	मणिपुर	0.00	66.06	0.00	0.00	**66.06**
24	मेघालय	0.00	0.00	22.69	0.00	**22.69**
25	मिजोरम	0.00	45.27	0.00	0.00	**45.27**
26	नागालैंड	12.03	0.00	43.52	0.00	**55.55**
27	ओडिशा	312.83	0.00	0.00	0.00	**312.83**
28	पुदुच्चेरी	12.72	9.19	9.19	0.00	**31.11**
29	पंजाब	0.00	121.44	623.57	0.00	**745.00**
30	राजस्थान	143.91	586.54	0.00	0.00	**730.45**
31	सिक्किम	5.29	0.00	18.55	0.00	**23.84**
32	तामिलनाडु	377.16	278.84	1,454.55	0.00	**2,110.55**
33	तेलंगाना	178.82	350.70	0.00	0.00	**529.52**
34	त्रिपुरा	0.00	26.21	79.58	0.00	**105.79**
35	उत्तर प्रदेश	226.03	964.37	1,418.72	0.00	**2,609.12**
36	उत्तराखंड	122.01	113.39	147.02	0.00	**382.43**
37	पश्चिम बंगाल	153.30	245.82	675.26	0.00	**1,074.38**
कुल-योग		**5,685.99**	**6,146.31**	**6,112.89**	**0.00**	**17,945.20**

*****

अनुलग्नक-VIII

"वर्षा जल संरक्षण कार्यक्रम" के संबंध में लोक सभा में श्री मनोज तिवारी और श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक द्वारा पूछे गए और दिनांक 04.08.2022 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *268 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अमृत 2.00 के तहत राज्य जल कार्य योजना (एसडब्ल्यूएपी) और विशेष राज्य जल कार्य योजना(एसएसडब्ल्यूएपी) के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम**	**वित्तीय वर्ष 2021-22 में जारी केन्द्रीय सहायता**	**मौजूदा वर्ष 2022-23 में जारी केन्द्रीय सहायता**	**कुल योग**
1	असम		56.652	56.652
2	छत्तीसगढ		148.4	148.4
3	गुजरात		311.59	311.59
4	झारखंड	98.227		98.227
5	मध्य प्रदेश	130.0775	12.7	142.7775
6	महाराष्ट्र		36.16	36.16
7	मेघालय		21.69	21.69
8	ओडिशा	127.472		127.472
9	तमिलनाडु		398.13	398.13
10	तेलंगाना	100		100
11	उत्तर प्रदेश		521.414	521.414
कुल योग		**455.7765**	**1,506.736**	**1,962.5125**

******